HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2306/2026

Kamlesh S/o Nonadilal, Aged About 33 Years, R/o Dehlanapur, Police Station Harnawada Shahaji, District Baran (Raj.) (Presently Confined In District Jail At Jhalawar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narsi Prasad Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना अकलेरा, जिला–झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 389/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के आधिपत्य से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। प्रकरण में जिन सहअभियुक्तगण कालूलाल, राकेश व सुरेश के आधिपत्य से 35 किलो 595 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ था, उन्हें इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध का अभियोग है और सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर उससे उक्त माल क्रय किया जाना बताया गया है। प्रार्थी दिनांक 21.12.2025 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी का नाम अंकित है और मादक पदार्थ प्रार्थी से ही क्रय किया जाना सहअभियुक्तगण ने बताया है। सहअभियुक्तगण के आधिपत्य से 35 किलो 595 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहअभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थ प्रार्थी से क्रय किये जाने का कथन करने के आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। बरामदशुदा मादक पदार्थ 35 किलो 595 ग्राम डोडा चूरा है, जो वाणिज्यिक मात्रा 50 किलो से कम है तथा जिन सहअभियुक्तगण कालूलाल, राकेश व सुरेश के आधिपत्य से मादक पदार्थ बरामद होना बताया गया है, उन्हें इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी दिनांक 21.12.2025 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण

न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /64